



सं0 सी0पी0-2525/853-मैनेजर

दिनांक 31 दिसम्बर, 2025

सेवा में

अपर महासर्वेक्षक: उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली/राष्ट्रीय भू-सूचना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद
निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय सीमा निदेशालये एवं डी0एस0ए0, नई दिल्ली

विषय: Promotion of Assistant Manager, Map Reproduction (Group 'B') to the Grade of Manager, Map Reproduction (Junior)(Group 'A')

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित सहायक प्रबंधक, मानचित्र पुनरुत्पादन (ग्रुप 'बी') को प्रबंधक, मानचित्र पुनरुत्पादन (कनिष्ठ) (ग्रुप 'ए') के पद पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल 10 में नियमित आधार पर पदोन्नति के आदेश दिये जाते हैं। पदोन्नति दिनांक 01-01-2026 अथवा अधिकारियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि जो भी बाद में हो, से प्रभावी होगी।

क्रम सं0	नाम	वर्तमान तैनाती	नई तैनाती
1.	श्री विवेक गुप्ता	भारतीय सर्वेक्षण विभाग प्रिंटिंग प्रेस, नई दिल्ली	भारतीय सर्वेक्षण विभाग प्रिंटिंग प्रेस, नई दिल्ली
2.	श्री डी. रमेश	राष्ट्रीय भू-सूचना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद	भारतीय सर्वेक्षण विभाग प्रिंटिंग प्रेस, नई दिल्ली

2. उपरोक्त पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने के प्रमाण पत्र फार्म 0.115 (लेखा) की दो प्रतियाँ इस कार्यालय को भेजने की कृपा करें। इस पदोन्नति आदेश को इस पत्र के जारी होने की तारीख से 1 माह के भीतर लागू किया जाए अर्थात् उपरोक्त अधिकारियों को यथासमय कार्यमुक्त करें ताकि संबंधित अधिकारी 1 माह की निर्धारित समय सीमा में अपने नए तैनाती स्थान/स्टेशन पर रिपोर्ट कर दें।

3. उपरोक्त अधिकारी प्रबंधक मानचित्र पुनरुत्पादन (कनिष्ठ) के पद पर नियमित पदोन्नति की तिथि से दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे। इनके विषय में इस अवधि के कार्य तथा कार्य निष्पादन की मूल्यांकन रिपोर्ट इस कार्यालय को अवश्य भेजें।

4. अनुसूचित जाति/जन जाति के कर्मिक के कास्ट स्टेटस (Caste Status) एवं PwBD Category सम्बन्धी अधिकारी के प्रमाण पत्र के पुनः सत्यापन के विषय में आवश्यक कार्रवाही सम्बन्धित निदेशालय द्वारा उनके पदोन्नति पर रिपोर्ट करने पर की जाये तथा यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि पुनः सत्यापन के पश्चात यदि उक्त अधिकारी अनुसूचित जाति/जन जाति/ PwBD Category से सम्बन्धित नहीं पाये गये तो उन्हें तत्काल उनके मूल पद पर पदावनत कर दिया जायेगा।

5. यदि उपरोक्त अधिकारियों के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनात्मक या दण्ड प्रक्रिया संबंधित मामला कार्यालय में लम्बित हो तो उपरोक्त आदेश प्रभावी न किए जाएं।

.....2/-

6. उपरोक्त अधिकारियों को पदोन्नति पर नए तैयारमान में वेतन नियतन के लिए FR 22 (I)(a)(1) के अधीन अपना विकल्प एक माह के भीतर देना होगा यदि उपरोक्त अधिकारियों को MACP योजना के अन्तर्गत FR 22 (I)(a)(1) का लाभ मिल चुका है तो उनका वेतन नियतन निर्धारित नियमों के अनुरूप करें।

7. These promotion orders are in accordance with the instructions mentioned under para 4 of DoP&T's OM No. 36012/11/2016-Estt (Res-I){Pt-II} dated 15-06-2018 and DST's No. SM/02/10/2017 dated 16-05-2019. The select list of the panel will be subject to the outcome of SLP (C) No. 30621/2011 (Jarnail Singh & Others Vs Lachhmi Narain Gupta & Others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court case in connected matter.

8. पदोन्नत अधिकारियों से संलग्न Undertaking प्राप्त कर लें तथा उनकी Service Book में रिकार्ड हेतु रखें।

9. संबंधित अधिकारियों को पदोन्नति हेतु कार्यमुक्त करते समय गमनागमन आदेश की प्रति इस अनुभाग की ई-मेल (sgo.conf.soi@gov.in) पर अवश्य प्रेषित करें।

संलग्नक: यथोपरि

(एस० वी० सिंह)
अपर महासर्वेक्षक
कृते भारत के महासर्वेक्षक

E-mail:- sv.singh.soi@gov.in

Phone No: 0135-2740667

प्रतिलिपि:

1. सचिव, भारत सरकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग), नई दिल्ली (ध्यानाकर्षण: सुश्री प्रीति अरोड़ा, अवर सचिव (एस०एम०पी०) को उनके पत्र सं० F.No. SM/01/06/2020 दिनांक 17-10-2025 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. भारत के महासर्वेक्षक के वरिष्ठ निजी सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग प्रिंटिंग प्रेस, नई दिल्ली
4. लेखा अधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, हैदराबाद/जयपुर को सूचनार्थ।
5. कार्यालय अधीक्षक: स्थापना/जे०सी०एम० एवं कार्य अध्ययन एकक/ए०पी०ए०आर० अनुभाग, महासर्वेक्षक का कार्यालय।
6. इंचार्ज, वैब एडमिन/इंचार्ज, ई-ऑफिस महासर्वेक्षक का कार्यालय।

UNDERTAKING

I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the outcome of *the SLP (C) No. 30621/2011 (Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others)* and *the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter.*

Place:

Date:

Signature:

Name of Officer:

Office:

COUNTERSIGNED BY ADDL SG / DIRECTOR

वचन पत्र

मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मैं माननीय कोर्ट के वाद *SLP (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others)* and *the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter* के निर्णय का पालन करूंगा।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर:

कर्मचारी का नाम:

कार्यालय:

अपर महासर्वेक्षक / निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित